भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2984

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2024

जनजातीय समुदायों को भूमि अधिकार

2984. श्री दुलू महतो:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के मामलों के संबंध में क्या सुधार कार्य किए जा रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(घ) जनजातीय समुदायों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सरकार की क्या कार्यनीतियां हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006" (संक्षेप में एफआरए) का उद्देश्य जनजातीय समुदायों और अन्य वन-आश्रित लोगों के वन संसाधनों और भूमि पर अधिकारों को मान्यता देना और उन्हें निहित करना है। एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, झारखंड सहित संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006" (संक्षेप में एफआरए) के विधायी मामलों की निगरानी और प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर निदेश और दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (झारखंड सहित) और संबंधित प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। झारखंड सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तियों और समुदायों को अधिकार-पत्र प्रदान करने और मान्यता देने के लिए नवंबर 2023 में **"अबुआ वीर दिशोम अभियान"** शुरू किया गया है। हाल ही में, भारत सरकार ने **'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान'(डीएजेजीयूए)** शुरू किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन और विभिन्न सरकारी योजनाओं (आवास,पीएम किसान सम्मान निधि, पशुपालन विभाग की योजनाएं, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभागसे संबंधित) के लाभों को उनका सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिएएफआरए पट्टा धारकों तक पहुंचाने पर केंद्रित है। अभियान के तहत, मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की मदद से ग्राम पंचायतों, ग्राम सभा, उप-मंडल और जिला स्तर के अधिकारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एफआरए, पेसा,

संवैधानिक प्रावधानों और अजजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न कानूनों और भूमि अधिग्रहण या विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रावधान **अनुलग्नक** में हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) जो कि भूमि संबंधी मामलों के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय है, ने सूचित किया है कि भूमि और उसका प्रबंधन भारत के संविधान (सातवीं अनुसूची- सूची II (राज्य सूची)- प्रविष्टि संख्या (18) के तहत राज्यों के अनन्य विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण का कार्यडीओएलआर द्वारा प्रशासित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 सहित, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत किया जाता है।

(ग) और (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जिसमें20,000 की जनजातीय आबादी और 50% जनजातीय व्यक्तियों के दोहरे मानदंड को पूरा करने वाले ब्लॉकों में 728ईएमआरएस स्थापित किए जा रहे हैं। आज तक, 715 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 476ईएमआरएस कार्यशील हैं, जो 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 264 जिलों में 1,33,929 छात्रों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय डीए-जेजीयूए के तहत जनजातीय बच्चों के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे आश्रम स्कूलों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए केंद्रीय सहायता के साथ राज्यों कीसहायता भी कर रहा है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय झारखंड राज्य सहित पूरे देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है:

i) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X के लिए)

ii) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर के लिए)

iii) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना: उच्चतर अध्ययनों का अध्ययन करने के लिए 265 उच्चतर श्रेणी के संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

iv) राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना: भारत में एम.फिल या पीएचडी करने के लिए

v) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए।

3. शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) समग्र शिक्षा योजना क्रियान्वित कर रहा है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह योजना अजा, अजजा और अल्पसंख्यक समुदायों की सघनता के साथ-साथ नामांकन, प्रतिधारण और लिंग समानता के विभिन्न संकेतकों के प्रदर्शन के आधार पर पहचाने गए विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) पर ध्यान केंद्रित करती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों कोकस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना और संचालन, पीएम-जनमन के तहत 500 पीवीटीजीछात्रावासों की स्थापना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत 1000 जनजातीय छात्रावासों की स्थापना आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. सरकार ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) भी शुरू किया।मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुँच जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। पीएम जनमन के तहत दिए जाने वाले शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित लाभों का विवरण **(नवंबर 2024 तक)** इस प्रकार है:

मंत्रालय	**उपाय**	**स्वीकृतियां**	**वित्तीय स्वीकृतियां (करोड़ रुपए में)**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सचल औषधालय इकाइयां (एमएमयू)	616 एमएमयू स्वीकृत और क्रियाशील हैं, जिनमें 25 लाख से अधिक लोग आते हैं।	208.7
शिक्षा	छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन	194 छात्रावास	476.16

संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

5. भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी शुरू किया है।अभियान में 17लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अन्तरों को भरना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान के तहत प्रत्येक मंत्रालय को बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और उन्हें सौंपे गए उपाय को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अभियान का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच (पहुंच) के माध्यम से संतृप्ति प्राप्त करना है। अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए 1000 छात्रावास और 1000सचल चिकित्सा इकाइयां स्थापित करने का प्रावधान है। इसके अलावा इन 63,843 गांवों में रहने वाले सभी पात्र परिवारों को अभियान मोड के माध्यम से आयुष्मान भारत का लाभ प्रदान किया जाएगा।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2984 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में विशेष प्रावधान हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(1) **अनुसूची-V के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान** भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को निषेध या प्रतिबन्धित करने तथा ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करने का अधिकार है। संविधान की अनुसूची V के पैरा 5.2 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में किसी जनजातीय व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।

(2) **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996** (संक्षेप में पेसा) में प्रावधान भीहै कि "विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को पुनः बसाने या पुनर्वासित करने से पहले ग्राम सभा या उचित स्तर की पंचायतों से परामर्श किया जाएगा।"

(3) **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम** (संक्षेप में एफआरए) 2006 में अधिनियमित किया गया था, जो जनजातीय आबादी के किसी भी विस्थापन से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता और निहितीकरण की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक संस्थाओं को शामिल करने का भी प्रयास करता है।

क) एफ.आर.ए.की धारा 4(2)(4) में यह प्रावधान है कि यह अधिकार विरासत में मिलेगा, लेकिन अधिग्रहणीय या हस्तांतरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों के मामले में दोनों पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होगा तथा एकल व्यक्ति द्वारा संचालित परिवार के मामले में एकल मुखिया के नाम पर पंजीकृत होगा और प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, विरासत में मिला अधिकार निकटतम रिश्तेदार को हस्तांतरित हो जाएगा।

ख) एफआरए की धारा 4(5) में कहा गया है कि "अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासी के किसी भी सदस्य को मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल किया या हटाया नहीं जाएगा"।

(4) **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** में प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करना या किसी भूमि या परिसर या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उनके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करना या फसलों को नष्ट करना या वहां से उपज ले जाना अत्याचार का अपराध माना जाएगा और उक्त अधिनियम के तहत दंड के अधीन होगा।

(5) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिन्हें धारा 41 और 42 के तहत स्पष्ट किया गया है।

(i) **आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची** में भूमि स्वामियों के लिए मुआवजे का प्रावधान है। आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 की धारा 3(द) (ii) के अनुसार, 'भूमि स्वामी' में वह व्यक्ति शामिल है जिसे एफआरए, 2006 (2007 का 2) या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(ii) **आरएफसीटीएलएआरआर की दूसरी अनुसूची** में पहली अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त सभी प्रभावित परिवारों (भूमि मालिकों और ऐसे परिवारों जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहीत भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है।

(iii) **आरएफसीटीएलएआरआर की तीसरी अनुसूची** पुनर्वास क्षेत्र में उचित रूप से रहने योग्य और नियोजित बस्ती के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करती है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया [धारा 3 की उपधारा (ग)], मुआवजे की राशि का निर्धारण और गणना (धारा 26 से 29), साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए तंत्र (अध्याय V और VI) का भी उल्लेख किया गया है।

****